

कार्यालय:- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, डीडवाना

क्रमांक:- 07/स्थापना/2026

दिनांक:- 12 Jan., 2026

-संशोधित कार्यालय आदेश -

मैं महावीर सिंह चारण, आर.जे.एस., मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, डीडवाना भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 13(2) का प्रयोग करते हुये वर्ष 2026 के माह जनवरी में घोषित स्थानीय अवकाश दिनांक 14.01.2026 मकर संक्रान्ति हेतु रिमाण्ड ड्यूटी के लिए पूर्व में जारी कार्यालय आदेश 31/स्थापना/2025 दिनांक 22 Dec., 2025 में आंशिक संशोधन करते हुए उक्त दिनांक को श्री धर्मेन्द्र, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नावां को डीडवाना न्यायक्षेत्र के लिए आवश्यक फौजदारी कार्य रिमाण्ड, जमानत व अन्य आवश्यक कार्य/मृत्युकालिक कथन/196 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (176 दण्ड प्रक्रिया संहिता) की कार्यवाही हेतु अधिकृत करता हूं, शेष रिमाण्ड ड्यूटी पूर्व में जारी कार्यालय आदेश 31/स्थापना/2025 दिनांक 22 Dec., 2025 के अनुसार ही रहेगी।


(महावीर सिंह चारण)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, डीडवाना

क्रमांक:- 31-40

दिनांक:- 12.01.2026

प्रतिलिपि: - निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, डीडवाना।
2. श्रीमान् अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय - डीडवाना/लाडनूं/कुचामन/मकराना/परबतसर संख्या 01 व 02
3. अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट - डीडवाना/लाडनूं/कुचामन/मकराना/परबतसर/नावां।
4. न्यायिक मजिस्ट्रेट - डीडवाना/मकराना।
5. जिला पुलिस अधीक्षक, डीडवाना, समस्त वृत्ताधिकारियों व थानाधिकारियों को सूचित करने बाबत।
6. सहायक निदेशक अभियोजन, नागौर।
7. समस्त बार संघ अध्यक्ष, जिला डीडवाना-कुचामन।
8. जिला आबकारी अधिकारी, डीडवाना सभी आबकारी थानों को सूचित करने बाबत।
9. प्रभारी अधिकारी जिला उपकारागृह, डीडवाना।
10. सिस्टम ऑफिसर, ऑफिशियल वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
11. रक्षित पत्रावली।


12/01/26
(महावीर सिंह चारण)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, डीडवाना